रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 450] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अक्तूबर 14, 2004/आश्विन 22, 1926
No. 450] NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 14, 2004/ASVINA 22, 1926

नागर विमानन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 अक्तूबर, 2004

सा.का.नि. 673(अ).—केन्द्रीय सरकार, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 1994 (1994 का 15) की धारा 41 की उप-धारा (2) के खण्ड (छ i) और (छ ii) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ** (1):- इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण **(अप्राधिकृत अधिभोगों पर सूचना की तामील की रीति)** नियम, 2004 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को होंगे।

2. **परिभाषाएं:-** इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

(क) ***अधिनियम*** से भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 1994 (1994 का 15) अभिप्रेत है;

(ख) ***बेदखली अधिकारी*** से अभिप्रेत है प्राधिकरण का वह अधिकारी जिसे अधिनियम की धारा 28 **ख** के अधीन उसके द्वारा उस रूप में नियुक्त किया हो;

(ग) अन्य सभी शब्दों और पदों का, जिन्हें इसमें इसके पश्चात् प्रयोग किया गया है परन्तु परिभाषित नहीं किया गया है, वही अर्थ होगा जो कि अधिनियम में क्रमश: उनका है।

3. **सूचना का प्रारूप:-** अधिनियम की धारा 28 **ग** के अधीन सूचना इन नियमों से उपाबद्ध प्रारूप में होगी।

4. **सूचना की रीति और तामील करना, आदि** -(1) अधिनियम की धारा 28 **ग** की उप-धारा (3) में विनिर्दिष्ट सूचना की तामील करने की रीति के अतिरिक्त, इसे उस व्यक्ति या उन व्यक्तियों पर तामील किया जाएगा जो कि विमानपत्तन के अधिभोगी हैं अथवा ऐसे प्रत्येक व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के कुटुम्ब के किसी भी वयस्क सदस्य को देकर अथवा प्रस्तुत करके अथवा ऐसी सूचना की एक प्रति सम्यक रजिस्ट्री रसीदी डाक द्वारा उस व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के पते वाले पत्र द्वारा भेजकर तामील किया जाएगा।

(2) धारा 28 **ग** के उपधारा (4) के अधीन डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अपेक्षित सूचना की प्रति विमानपत्तन परिसर पर उस व्यक्ति के पते वाले पत्र में सम्यक रजिस्ट्री रसीदी डाक द्वारा भेजी जाएगी।

(3) जहां धारा 28 **ग** की उपधारा-4 के अधीन सूचना की प्रति दी गई है अथवा सौंपी गई है, वहां इस सेवा की अभिस्वीकृति के प्रतीक के तौर पर उस व्यक्ति के हस्ताक्षर लिए जाने चाहिए जिसे प्रति दी गई है अथवा सौंपी गई है।

(4) उपधारा (2) या उपधारा (3) के अधीन तामील की गई सूचना की प्रति के संबंध में, जहां व्यक्ति अभिस्वीकृति पर हस्ताक्षर करने से इन्कार करता है या जहां पूरे युक्तियुक्त एवं उचित परिश्रम के पश्चात् भी वह नहीं मिल पाता है तथा ऐसे व्यक्ति के कुटुम्ब का कोई वयस्क सदस्य नहीं हो, तो सूचना की एक प्रति बाहरी दरवाजे या विमानपत्तन परिसर के अन्य सहज दृश्य भाग पर चिपका दी जाएगी तथा मूल प्रति बेदखली अधिकारी को लौटा दी जाएगी जो कि सूचना जारी करता है, जिसके साथ एक रिपोर्ट लगा दी जाएगी या नत्थी कर दी जाएगी जिसमें कहा गया हो कि एक प्रति ऐसे चिपका दी गई है, किन परिस्थितियों में ऐसा किया गया है और उस व्यक्ति का नाम व पता, यदि कोई हो, जिसने विमानपत्तन परिसर की पहचान की हो तथा जिसकी उपस्थिति में प्रति चिपका दी गई है।

(5) यदि अधिनियम की धारा 28 ग की उपधारा (4) के अधीन जारी की गई सूचना की पूर्वोक्त किसी भी रीति से तामील न की जा सके, तो बेदखली अधिकारी, यदि ठीक समझे तो, निदेश दे सकेगा कि ऐसी सूचना को कम से कम एक ऐसे समाचार-पत्र में प्रकाशित किया जाएगा जो कि उस इलाके में परिचालित होता हो।

[फा. सं. एवी. 20036/102/2003-एएआई]
डा. नसीम जैदी, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF CIVIL AVIATION

NOTIFICATION

New Delhi, the 11th October, 2004

G.S.R. 673(E).—In exercise of the powers conferred by Clauses (gi) and (gii) of Sub-section (2) of Section 41 of the Airports Authority of India Act, 1994 (15 of 1994), the Central Government hereby makes the following rules, namely :—

1. **Short title and commencement.** (1).- These rules may be called the Airports Authority of India (**Manner of Service of Notice on Unauthorized Occupant**) Rules, 2004.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the official Gazette.

2. **Definitions.**- In these rules, unless the context otherwise requires,-

(a) "Act" means the Airports Authority of India Act, 1994 (15 of 1994);

(b) "eviction officer" means an officer of the Authority appointed as such by it under section 28B of the Act;

(c) all other words and expressions used hereinafter, but not defined herein shall have the same meaning as are respectively assigned to them in the Act.

3. **Form of Notice .** A notice under section 28C of the Act shall be in the Form appended to these rules.

4. **Manner and service of notice, etc.**- (1) In addition to the manner of service of notice specified in sub- section (3) of section 28C of the Act, it shall be served on the person or persons who are in occupation of the airport premises by delivering or tendering it to that person or persons or to any adult member of the family of every such person or persons or by sending a copy of such notice by registered post acknowledgement due in a letter addressed to such person or persons.

(2) The copy of the notice required to be sent by post under sub-section (4) of section 28C shall be sent by registered post acknowledgement due in a letter addressed to that person at the airport premises.

(3) Where a copy of the notice under sub-section (4) of section 28C is delivered or tendered, the signature of the person to whom the copy is so delivered or tendered should be obtained in token of acknowledgement of the service.

(4) In respect of a copy of notice served under sub-rule (2) or sub-rule (3), where the person refuses to sign the acknowledgement or where he cannot be found after using all due and reasonable diligence and there is no adult member of the family of such person, a copy of the notice shall be affixed on the outer door or some other conspicuous part of the airport premises and the original shall be returned to the eviction officer who issued the notice, with a report endorsed thereon or annexed thereto, stating that a copy has been so affixed, the circumstances under which it was done so and the name and address of the person, if any, by whom the airport premises was identified and in whose presence the copy was affixed.

(5) If a notice issued under sub-section (4) of section 28C of the Act cannot be served in any manner aforesaid, the eviction officer may, if he thinks fit, direct that such notice shall be published in at least one newspaper having circulation in the locality.

[F. No. AV. 20036/102/2003-AAI]

Dr. NASIM ZAIDI, Jt. Secy.

FORM OF NOTICE
(See rule 3)

To

Shri/Shrimati/Kumari..............................
....

Whereas I, the undersigned, am of opinion, on the grounds specified below that you are in unauthorized occupation of the airport premises mentioned in the Schedule below and that you should be evicted from the said premises:

GROUNDS

(1)
(2)

Now, therefore, in pursuance of clause (b) (i) sub-section (2) of section 28C of the Act, I hereby call upon you to show cause within a period of seven days from the date of issue of this notice why such an order of eviction should not be made;

And, in pursuance of clause (b) (ii) of sub-section (2) of section 28C, I also call upon you to appear before me in person or through a duly authorized representative capable to answer all material questions connected with the matter along with the evidence which you intend to produce in support of the cause shown, on...........at.......... for personal hearing. In case, you fail to appear on the said date and time, the case will be decided ex parte.

SCHEDULE

Signature and seal of the Eviction Officer

Date..............

सूचना का प्रारूप
(नियम 3 देखिए)

सेवा में,

श्री/श्रीमती/कुमारी ______________

____

मैं अधोहस्ताक्षरी नीचे विनिर्दिष्ट कारणों से सहमत हूं कि नीचे अनुसूची में उल्लिखित विमानपत्तन परिसर आपके अप्राधिकृत अधिभोग में हैं तथा आपको उक्त परिसर से बेदखल कर दिया जाना चाहिए।

कारण

(1)

(2)

इसलिए अब अधिनियम की धारा 28 **ग** की उपधारा (2) के खण्ड (ख) (i) के अनुसरण में मैं इस सूचना के जारी होने की तारीख से सात दिन की अवधि के भीतर कारण बताने की सूचना देता हूं कि आपको बेदखली का आदेश क्यों जारी नहीं किया जाना चाहिए।

और अधिनियम की धारा 28 **ग** की उपधारा (2) के खण्ड (ख) (ii) के अनुसरण में मैं आपको अपने व्यक्तिगत रूप से अथवा सम्यक रूप से उस प्राधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से उपस्थित होने की सूचना देता हूँ जो मामले के संबंध में सभी तात्विक प्रश्नों का उत्तर देने के सक्षम हो, जिसके साथ ही व्यक्तिगत सुनवाई के लिए तारीख ______को ________ बजे दर्शित कारण के अनुसमर्थन में आप जो साक्ष्य देना चाहते हैं वो भी लाएं। उक्त तारीख तथा समय पर उपस्थित न हो पाने की स्थिति में मामले पर एकतरफा निर्णय ले लिया जाएगा।

अनुसूची

बेदखली अधिकारी के
हस्ताक्षर तथा मुहर

तारीख

3094 GI/2004-2

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.